This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 2 जनवरी, 2015 / 12 पौष, 1936

हिमाचल प्रदेश सरकार

श्रम एवं रोज़गार विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 31 दिसम्बर, 2014

संख्याः श्रम (ए) 4–1 / 14–बी.ओ.सी.डब्ल्यू.——हिमाचल की राज्यपाल, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 62 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेषज्ञता समिति से परामर्श के पश्चात्, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः श्रम (ए)4–6 / 2007–बी.ओ.सी.डब्ल्यू. तारीख 4 दिसम्बर, 2008 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 8 दिसबंर, 2008 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निमार्ण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनयमन) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:——

1. संक्षिप्त नाम.——इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) द्वितीय संशोधन नियम, 2014 है।

2. नियम 266 का संशोधन.——हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियम, 2008 के नियम 266 के उप–नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप–नियम रखा जाएगा, अर्थात् :——

"(3) रजिट्रीकरण के लिए आवेदन के साथ नियोजक या ठेकेदार से प्रमाण–पत्र या मजदूरी परचियां या मस्टर रोल या उपस्थिति रजिस्ट्रर की प्रति इसलिए संलग्न करनी होगी कि आवेदक एक सन्निर्माण कर्मकार है। यदि ऐसा प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं है, तो रजिस्ट्रीकृत सन्निर्माण कर्मकार संघ या सम्बद्ध स्थानीय शहरी निकाय के कार्यकारी अधिकारी या ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा जारी किया गया इस प्रभाव का प्रमाण–पत्र, कि आवेदक ने पूर्ववर्ती बारह मास में कम से कम नब्बे दिन तक कार्य किया है, को भी विचार में लिया जा सकेगा। नियोजक से अन्यथा अभिकरणों द्वारा जारी प्रमाण–पत्र में नियोजक के पर्णू ब्यौरे अन्तर्विष्ट होंगे जहां आवेदक ने सुसंगत अवधि में कार्य किया है और ऐसे प्रमाण–पत्र को सम्बद्ध नियोजक के प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित करवाया जाएगा।"।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोज़गार)।

———————

[*Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-1/14-BOCW dated 31-12-14 as required under article 348(3) of the Constitution of India*].